

बिहार सरकार
सैनिक कल्याण निदेशालय
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

सै0क0नि0/24/30/2015/607/पटना-15, दिनांक 02 अप्रैल 2019

आदेश

सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि मेधावी छात्रवृत्ति की स्वीकृति से संबंधित आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :-

- (क) प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेखित शिक्षा संस्थान AICTE/UGC/STATE TECHNICAL BOARD/COUNCIL से मान्यता प्राप्त है या नहीं की जानकारी उक्त संस्थान से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ किया जाय।
- (ख) संबंधित विद्यार्थी के लिए निर्गत Bonafied-Certificate उक्त संस्थान द्वारा सत्यापित करा कर संलग्न किया जाय।
- (ग) उक्त विद्यार्थी जिसका Bonafied-Certificate निर्गत किया गया है, संबंधित सत्र में अध्ययन किया है या नहीं, की जानकारी उक्त संस्थान से प्राप्त कर संलग्न किया जाय।
2. उक्त प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये।
3. आवेदन पत्र के साथ इसकी मूल प्रति ही संलग्न की जाय। बिना उक्त प्रमाण पत्र के मेधावी छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में निदेशालय को नहीं भेजी जाय।
4. जिला स्तर से निदेशालय को आवेदन पत्र अग्रसारित करने के पूर्व संबंधित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी यह स्वयं सुनिश्चित होलें कि आवेदन पत्र अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण न हो।
5. संलग्न दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति भेजना सुनिश्चित किया जाए।
6. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

(Signature)
02-04-19
(कमल दिलीप प्रसाद)
निदेशक

ज्ञापक : सै0क0नि0/24/30/2015/607/पटना-15, दिनांक 02 अप्रैल 2019
प्रतिलिपि-जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, पटना, भोजपुर (आरा), छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, गया, बक्सर, सिवान एवं हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
02-04-19
निदेशक

(21)
398

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

का0आ0/सै0क0नि0/11/03/2014/434/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या / 5 / 2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 2.1 में निहित निर्णय के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों एवं मृत सैनिक के पत्नी के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति की दर में बढ़ोतरी की गई है। जिसमें भूतपूर्व सैनिकों एवं मृत सैनिक की पत्नी (सेना के हवलदार रैंक तक एवं नौसेना/वायु सेना में इससे समतुल्य रैंक तक) एवं वैसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैनिक जिसकी विकलांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो के आश्रित दो पुत्र/पुत्रियों को जिनका घयन अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा से सरकारी संस्थान में किया गया हो तथा उन्हें किसी अन्य संस्थान से छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो को मेधावी छात्रवृत्ति देने हेतु निम्नवत स्वीकृति दी जाती है :-

- (1) मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 15,000/-रु० को बढ़ाकर 20,000/-रु० प्रतिवर्ष प्रति छात्र।
 - (2) आय की सीमा को समाप्त किया गया।
 - (3) बी० एड०, एम० एड० एवं विधि कोर्स को मेधावी छात्रवृत्ति में सम्मिलित किया गया।
 - (4) मेधावी छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम के पूरे वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया गया।
2. यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा यह व्यय विशेष कोष (सैनिक कल्याण फंड) से किया जायेगा। स्वीकृति हेतु निदेशालय के पत्रांक 188 दिनांक 16.02.2010 एवं पत्रांक 310 दिनांक 30.4.2010 में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगे।

स-1-

(देव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापांक : सै० क० नि०/11/03/2014/...../पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017
प्रतिलिपि, महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

स-1-

निदेशक

ज्ञापांक : सै० क० नि०/11/03/2014/434/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017
प्रतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार पटना/लेखापाल/प्रभारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

निदेशक

APPLICATION FOR MERIT SCHOLARSHIP/BOOK GRANT/HOSTEL GRANT

PART -I

(TO BE FILLED IN BY THE APPLICANT)

1. No _____ Rank _____ Name _____
2. Regiment/Corps _____ :
3. Date of Enrolment _____ :
4. Date of Discharge _____ :
5. Reason of Discharge _____ :
6. Date of Death (In case of Widows) _____ :
7. Cause of Death _____ :
8. Permanent Home Address _____ :

9. Address for Correspondence _____ :

10. Identity Card No. (Ex-Servicemen) _____ :
11. Name of Ward (Son/Daughter) _____ :
12. Name of Competitive Examination in which ward qualified: _____
13. Name & Address of Institution where admission is to take place.: _____

14. Date of admission in Institution(Attach Photo Copy): _____
15. Bank Account No. of applicant _____ :
16. IFSC Code _____ :
17. Name of Bank with address _____ :

18. Aadhar Card No of applicant _____ :

(Signature of applicant)
(Ex-servicemen/Widow)
Tele/Mob No :

Part - II

1. Certified that :-
 - (a) Miss/Master _____ (Name of ward) is the son/daughter of Sri/Smt _____
 - (b) His/Her date of birth is : _____
 - (c) His/Her Date of Admission is: _____
 - (d) During the academic session _____ he/she was the student of 1st/2nd/3rd /4th year in _____ (Name of Professional Course).
2. It is further certified that :-
 - (a) The college/Institution is recognised by the Government.
 - (b) The student is not getting such grant/scholarship from this College/Institution.

(Signature of principal of college/Head of Institution
with office seal)

Part - III

It is certified that the details of application form has been scrutinised by me and found correct. This is also to certify that the college/institution is recognised from AICTE/MCI/DCI/BCI/ AIMA etc and application of the above said ex-servicemen/widow has not been recommended and forwarded under Prime Minister's Merit Scholarship Scheme to Kendriya Sainik Board, New Delhi. This application is within the limit prescribed for two wards.

Signature of Welfare Organiser

RECOMMENDED/NOT RECOMMENDED

(Signature of Zila Sainik Kalyan Padadhikari)

IMPORTANT INFORMATION

1. The Ex-servicemen should originally belongs to Bihar State and at present be residing in Bihar.
2. Incomplete application forms will automatically be treated as cancelled and no representation will be entertained by this Directorate.
3. The application forms will be submitted in duplicate by the Ex-servicemen direct to their respective Zila Sainik Kalyan Karyalaya, who will forward the same to the Directorate within seven days after receipt of the application.
4. Office seal of college/Institution must be clearly visible.
5. Merit Scholarship will be granted to Ex-servicemen (JCOs/ORs/Widows of all ranks/ Disabled Officers having Disability of 50% or more) whose wards are admitted to Medical/Engineering/Agriculture/Business Management/ Bachelor/Master Degree courses in Management)/I.T./Computer application/Mass Media/Journalism and all such other professional courses like M. Phil/M.Tech/B.Ed/M.Ed and Law course e.t.c. on the basis of Merit in recognised University/Institution and are not getting such Scholarship from any other sources.

DOCUMENTS REQUIRED WITH APPLICATION SHOULD BE ATTESTED BY ZILA SAINIK KALYAN PADADHIKARI.

1. Check list duly signed by Zila Sainik Kalyan Padadhikari
2. Photo copy of Entrance Test Admit Card.
3. Photo copy Fee receipt of (1st/2nd/3rd/4th year as applicable).
4. Photo copy of mark sheet (1st/2nd/3rd/4th year as applicable).
5. Photo copy of discharge book/Service particulars.
6. Photo copy of Identity Card of Ex-servicemen/widow.
7. Photo copy of 1st page of Bank Pass book of applicant.
8. Photo copy of Aadhar Card of applicant.

XXX

वेक गिर

[illegible]

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर